झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,बुधवार,दिनांक 14 फाल्गुन,1936(श0) / 04 मार्च, 2015 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित होंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(34)-	अ0सू0-03	श्री अमित कुमार	पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	ग्रामीण कार्य	27.02.15
(35)-	अ0सू0-04 उत्तर संलग्न	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	जलमीनार से जलापूर्ति करना।	नगर विकास	27.02.15
(36)-	अ0सू0-07 उत्तर संलग्न	श्री राधाकृष्ण किशोर	बंद पड़े नलकूपों को चालू करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	28.02.15
(37)-	अ0सू0-02 उत्तर संलग्न	श्री शशिभूषण सामाड़	प्रखण्ड का दर्जा देना।	ग्रामीण विकास	27.02.15
(38)	अ0सू0-11 उत्तर संलग्न	श्री निर्मल कु0शाहाबादी	आई0एच0एस0डी0पी0योजना का लाभ देना।	नगर विकास	28.02.15
(39)-	अ0सू0-10 उत्तर संलग्न	श्री प्रकाश राम	योजनाओं का कार्यान्वयन करना।	नगर विकास	28.02.15
(40)-	अ0सू0-12 उत्तर संलग्न	श्री बादल	बकाया राशि का भुगतान करना।	ग्रामीण विकास	28.02.15

कृ0पृ0उ0.....2

01	02	03	04	05	06
(41)-	अ0सू0-06	श्री कमल किशोर भगत	पथ परिवहन निगम की स्थापना।	परिवहन	28.02.15
(42)-	अ0सू0-13	श्री बाटल	शौचालय का निर्माण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	28.02.15
(43)-	अ0सू0-08	श्री राधाकृष्ण किशोर	शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	28.02.15

रॉंची
दिनांक:-04 मार्च,2015ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या:-347/वि0स0,रॉंची,दिनांक-04 मार्च,15ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.03.15
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या:-347/वि0स0,रॉंची,दिनांक-04 मार्च,15ई0।

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

04.03.15
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

गोपी कृष्ण//

श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 04.3.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या - 03 पर उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न कर्ता – श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान–सभा क्षेत्र के धोकेसेरेंग का पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान योजना का निर्माण वर्ष 2004-05 में किया गया है, जो दो वर्ष पूर्व बरसात के मौसम में अत्यधिक पानी के बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इस योजना में घटिया सामग्रियों के प्रयोग के संबंध में जाँच कराई जायेगी।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के निर्माण में संबंधित एजेंसी ने अभियंताओं एवं अन्य कर्मियों की मिलीभगत से अत्यंत ही घटिया सामग्रियों का प्रयोग किया गया है;	
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवेदक के साथ दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जाँचोपरान्त दोष प्रमाणित होने पर संबंधित संवेदक/पदाधिकारियों पर आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–302/वि0 स0/2015/ग्रा0 वि0 –(N) 369 राँची, दिनांक 03.03.2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक – 149 दिनांक 27.2.2015 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/15

(रतन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 11–302/वि0 स0/2015/ग्रा0 वि0 –(N) 369 राँची, दिनांक 03.03.2015

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/15

सरकार के अवर सचिव।

(35)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त दिनांक–04.03.15 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–04 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद नगर पंचायत में जलापूर्त्ति हेतु जलमिनार का निर्माण पिछले वर्ष हो चुका है,	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हुसैनाबाद से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार नगर पंचायत, हुसैनाबाद अन्तर्गत पेयजलापूर्त्ति हेतु जलमिनार का निर्माण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित जलमिनार द्वारा जलापूर्त्ति नहीं की जाती है,	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत हुसैनाबाद से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार जलमिनार द्वारा आंशिक रूप से जलापूर्त्ति की जाती है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद नगर पंचायत स्थित जलमिनार द्वारा जलापूर्त्ति सुनिश्चित कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	हुसैनाबाद में व्यवस्थित शहरी जलापूर्त्ति योजना स्थापित करने हेतु JUIDCO Ltd., राँची द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि वर्ष 2017 तक जलापूर्त्ति सुनिश्चित हो सके।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :–5/न0वि0/अ0सु0–07/2015 739 राँची, दिनांक 03-03-15.

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा के ज्ञाप सं0 प्र0–223 वि0स0, राँची, दिनांक–27.02.15 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

03/3/15
सरकार के उप सचिव।

U.D.D. Hall :/E:/Mukti/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 121

माननीय विधायक श्री राधा कृष्ण किशोर, स0 वि0 स0, झारखंड द्वारा दिनांक 04.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या पे0–07 का उत्तर।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिसम्बर 2014 तक झारखंड राज्य में सरकार द्वारा लगाये गये कुल ड्रील नलकूपों की संख्या–3,89,746 है	स्वीकारात्मक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2014 तक नलकूपों की कुल संख्या 4.04 लाख है।
2	क्या यह बात सही है कि जल स्तर नीचे जाने तथा राइजर पाईप सड़ जाने के कारण जनवरी 2015 तक लगभग 1,20,000 ड्रील नलकूप बंद पड़े हैं।	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2014 तक सड़े राईजर पाईप के कारण बंद नलकूपों की संख्या–34,782 अदद है। इसमें TSP क्षेत्र में 16567 तथा OSP क्षेत्र में 18215 चापाकल बंद है। वर्ष 15–16 का सर्वे अप्रैल 15 में किया जायेगा। सर्वेक्षण के बाद सम्पूर्ण डाटा को ऑन लाइन भारत सरकार के पोर्टल पर कर दिया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक,नहीं तो क्यों ?	उक्त को चालू करने हेतु विभागीय राज्यादेश सं0– 98 (रवी0) दिनांक 18.09.14 द्वारा रू0 35.46 करोड़ की योजना स्वीकृत है। अद्यतन 16491 अदद नलकूप परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–C8/अल्पसूचित प्रश्न–01/2015– 729 राँची, दिनांक– 3/3/15

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र0–292 वि0 स0, राँची, दिनांक 28.02.14 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

PTO

दिनांक– 04.03.2015 को श्री शशिभूषण सामाड़, माननीय वि0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न–02

~~तारांकित प्रश्न~~	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय बन्दगाँव होने के कारण कोराईकेला के ग्रामीणों को काफी असुविधा हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि कराईकेला से बन्दगाँव प्रखण्ड 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;	कराईकेला से बन्दगाँव की दूरी 45 कि0मी0 है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कराईकेला को प्रखण्ड का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रखण्ड सृजन हेतु मापदण्डों के निर्धारण पर नीतिगत निर्णय प्रक्रियाधीन है। तदनुसार समुचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– 1–वि0स0–03 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 815 राँची, दिनांक– 03-03-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–150 दिनांक 27.02.2015 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1–वि0स0–03 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 815 राँची, दिनांक– 03-03-15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1–वि0स0–03 (बी0)/2015/ग्रा0वि0 815 राँची, दिनांक– 03-03-15

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–4 को उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

3/3/15

सरकार के अवर सचिव।

(38)

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11 का उत्तर सामग्रीः–

ब्यय मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्र० सं०	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि आई०एच०एस०डी०पी० योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत नगर पालिका/निगम क्षेत्रों में बसने वाले गरीब परिवारों को उक्त योजनान्तर्गत मकान बनाने हेतु राशि देने का प्रावधान है;	स्वीकारत्मक है
2.	क्या यह बात सही है कि, राज्य गठन से अबतक गिरिडीह के गरीब परिवारों को उक्त योजना के लाभ से वंचित रखा गया है;	अस्वीकारत्मक है
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में गिरिडीह के गरीब परिवारों को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गिरिडीह IHSDP योजना अन्तर्गत 1132 स्वीकृत आवासों में से 863 आवास पूर्ण कर ली गई है तथा 269 आवास प्रक्रियाधीन है।

ज्ञापांकः–श्री०वि०/IHSDP-सं०वि०स०-17/2015-741 दिनांकः–03-03-15.

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके स०प्र०–289 वि०स० दिनांक–28.02.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/2015

(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(39)

श्री प्रकाश राम, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का उत्तर सामग्री

क्या मंत्री, नगर विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत लातेहार भूखण्ड मुख्यालय में धर्मशाला–सह–विवाह मंडप–सह–प्रेक्षा गृह, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्क निर्माण हेतु कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार के पत्रांक–614/18.07.2012 को D.P.R. बनाकर तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजा गया है ?	स्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि पुरे लातेहार में इस तरह का एक भी भवन एवं पार्क नहीं है?	स्वीकारात्मक।
03.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भेजे गए DPR का नगर विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक–06.12.2012 को तकनिकी स्वीकृति भी प्रदान की गयी है ?	स्वीकारात्मक। निम्नांकित योजना का तकनिकी स्वीकृति प्राप्त है:– 1. ऑडोटोरियम, 2. धर्मशाला 3. पार्क एवं 4. मार्केट कॉम्प्लेक्स
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त योजनाओं का कार्यान्यन हेतु भेजे गये DPR की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आवंटन प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	(i) उक्त तकनीकी स्वीकृत प्राप्त योजनाओं में से 13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–74 दिनांक–06.01.14 के द्वारा मार्केट कॉम्प्लेक्स की लागत राशि 1.00 करोड़ रू० के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 25.00 लाख आवंटित की गई है। (ii) पुनः स्वीकृत्यादेश संख्या–06 दिनांक–30.04.14 के द्वारा बस स्टैण्ड निर्माण सहित मार्केट कॉम्प्लेक्स हेतु 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। (iii) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–80 दिनांक–19.09.14 के द्वारा 13वें वित्त आयोग अंतर्गत नगर भवन एवं पार्क निर्माण हेतु लातेहार नगर निकाय को क्रमशः 1.00 करोड़ एवं 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। 13वाँ वित्त आयोग के तहत् भारत सरकार से अवशेष राशि प्राप्त होने पर इन योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु शेष राशि आवंटित की जायगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–3/न०वि०/विधानसभा प्रश्न–01/2015–743 नं०वि०/राँची, दिनांक–03-03-15.

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–288 दिनांक–26.02.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(शशि भूषण मेहरा)
सरकार के उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

श्री बादल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 04.3.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – 12 पर उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न–कर्ता – श्री बादल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में मनरेगा मजदूरों का राज्य सरकार पर 20 करोड़ 50 लाख रूपया बकाया है,	वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 03.3.2015 के मनरेगा MIS जनरेशन के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में मजदूरों बकाया मद में कुल 9,99,31,000/- (नौ करोड़ निन्यानवे लाख इकतीस हजार) रूपये देय है।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में मनरेगा मजदूरों के बकाया मजदूरी राशि का भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इसके विरूद्ध राज्य में मनरेगा अन्तर्गत कुल 72.46 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है, जिससे भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। जिन जिलों में मनरेगा की राशि समाप्त हो चुकी है, वहाँ राज्य स्तर पर इस निमित्त सृजित चक्रीय निधि से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसे केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर पुनर्बहाल (recoup) कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11-301/वि० स०/2015/ग्रा० वि० – (N) 367 रांची, दिनांक 3.3.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक – 290 दिनांक 28.2.2015 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/15

(रतन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 11-301/वि० स०/2015/ग्रा० वि० – (N) 367 रांची, दिनांक 3.3.15

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/15

सरकार के अवर सचिव।

(41)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एम.एस.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 04–03–2015 को माननीय श्री कमल किशोर भगत, स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू० – 08 की उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री कमल किशोर भगत स०वि०स०		*उत्तर* माननीय श्री चन्द प्रकाश चौधरी प्रभारी मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के 15 वर्षों में परिवहन निगम की स्थापना नहीं की गई ?	–	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित परिवहन निगम की स्थापना नहीं होने से निजी बस संचालकों द्वारा मनमाना यात्री किराया वसूला जा रहा है ?	–	**उत्तर अस्वीकारात्मक है।** परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सवारी गाड़ियों का भाड़ा निर्धारण की कार्रवाई की जाती रही है। विभागीय अधिसूचना संख्या–387 दिनांक 11.03.2008 द्वारा भाड़े की दर को अधिसूचित किया गया है। यात्री किराये भाड़े को पुनरीक्षित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।
3	क्या यह बात सही है, कि खंड–1 में वर्णित परिवहन निगम की स्थापना नहीं होने से बिहार एवं झारखण्ड की बीच दायित्वों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है ?	–	**उत्तर अस्वीकारात्मक है।** बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 41, 42 एवं 62 के उपबंधों के अध्याधीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या (सिविल अपील संख्या)–7290/94 में दिनांक 12.08.2008 को पारित न्यायादेश के आलोक में संकल्प संख्या–176 दिनांक 28.02.2009 के द्वारा आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा किया गया है।
4	यदि, उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	–	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

5/3/15

सरकार के अवर सचिव

Alop Sinha (7.03.2015

ज्ञापांक – परि०वि०(वि०स०)–55 / 2015 ....238.... / राँची,दिनांक 03/03/15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं –291 दिनांक 28.02.2015 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

Ajap Suchit 07.03.2015

(42)

माननीय विधायक श्री बादल, द्वारा दिनांक 04.03.2015 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० - 13 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में घरों में शौचालय नहीं रहने से आज भी 92 प्रतिशत आबादी खुले में शौच को बाध्य है ?	वस्तु स्थिति यह है कि Baseline Survey 2012 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के कुल घरों की संख्या 3158257 है। जिसमें से कुल 37,12,585 घरों में घरेलु व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। लगभग 72% घरों में शौचालय नहीं है।
2	या यह बात सही है कि राज्य के 40 हजार स्कूलों में से 6 हजार 2 सौ स्कूलों में लड़कियों के लिए तथा 6 हजार 2 सौ स्कूलों में लड़को के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की WP (PIL) No. – 6978 of 2013 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समर्पित सूची के अनुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए 2240 अदद शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय बनाने के लक्ष्य निर्धारित है। अभी तक कुल 1764 अदद विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, 259 प्राथमिक विद्यालयों पर निर्माण कार्य प्रगति में है तथा शेष 217 अदद प्राथमिक विद्यालयों में भूमि विहीन/भवन विहीन है, जिसपर भारत सरकार का पत्रांक W11013/08/2014 (Pt) दिनांक 30.09.2014 के अनुसार मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड द्वारा भविष्य में शौचालय निर्माण किया जाना है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ग्रामीण क्षेत्र के शत प्रतिशत घरों एवं सभी विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक a) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पूरा करने का प्रस्ताव है। b) सरकारी विद्यालयों में शेष बचे 259 विद्यालयों में शौचालय बनाने का कार्य मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: अल्प सूचति प्रश्न सं. 13 दिनांक 04.03.2015 – 1125/2015 - 725 दिनांक 3/3/15

प्रतिलिपि: झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 293 दिनांक 28.02.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

SPHO/EC&HRD/MANTA

माननीय विधायक श्री राधा कृष्ण किशोर, दिनांक 04.03.2015 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं. अ. सू. . 08 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित झारखण्ड प्रदेश के जिलों के भूगर्भीय जल में फ्लोराइड और आर्सेनिक पाये जाते है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विभिन्न जलस्रोतों के सैम्पल की जाँच के क्रम में गढ़वा/पलामू में फ्लोराइड की मात्रा अनुमान्य सीमा (1.5 PPM) से अधिक कतिपय स्रोत पर पाई गई है। साहेबगंज में आर्सेनिक की मात्रा कतिपय स्रोत पर अनुमान्य सीमा 0.01 PPM से अधिक पायी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि सीमावर्त्ती जिलों के कई लोग फ्लोराइड एवं आर्सेनिक युक्त पानी पीने से विभिन्न गंभीर बिमारियों से ग्रसित है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?	(i) उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर अवस्थित मुख्य रूप से गढ़वा जिलें में 126, पलामू जिलें में 170 पेयजल स्त्रोंतो में फ्लोराइड की मात्रा अनुमान्य सीमा 1.5 PPM से अधिक पायी गयी है। साहेबगंज जिलें में मुख्य रूप से आर्सेनिक की मात्रा 125 पेयजल स्त्रोंतो में अनुमान्य सीमा 0.01 PPM से अधिक पायी गयी है। (ii) Short Term Measure के तहत पलामू एवं गढ़वा में 119 स्थलों पर Fluoride Removal Attachment को लगाकर पेयजलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। साहेबगंज जिलें में 26 अदद Arsenic Removal Plant लगाकर पेयजल की व्यवस्था की गई है। अधिक कारगर व्यवस्था के लिए वर्त्तमान में पलामू तथा गढ़वा में 200 अदद Electrolytic Defluoridation Plant तथा 125 अदद Arsenic Removal Plant का अधिष्ठापन वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किया जाना है। ऐसे प्लांट अधिष्ठापन के बाद 10 पैसे प्रति लीटर की लागत पर प्रति व्यक्ति 10 लीटर पेयजल की आपूर्ति ग्राम जल स्वच्छता समिति (Village Water & Sanitation Committee) द्वारा किया जायेगा। (iii) गढ़वा जिलें के प्रतापपुर में कोयल नदी से प्रतापपुर ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से प्रतापपुर, दरनी, पतसा गाँवों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। सतही कूप स्त्रोत द्वारा खूरो, हतनावाटोला, रामपुर टोला, रणपुरा, जाहरीकरण टोला, मसरा आदि गाँवों में पाइप जलापूर्ति सोलर पावर द्वारा की जा रही है। (iv) पलामू जिलें में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु

		फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में चैनपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा कँकारी जलापूर्ति योजना चालू है, जिससे लगभग 12 हजार की आबादी में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बारालोटा, चुकरू, विश्रामपुर, रेहला आदि योजनाओं का कार्यान्वयन अगले दो-तीन वर्षों में पूर्ण किये जाने की संभावना है। (v) साहेबगंज जिलें में आर्सेनिक की मात्रा गंगा के तट पर अनुमान्य सीमा 0.01 PPM से अधिक पाया गया है, वहां पर साहेबगंज Mega Water Supply Scheme का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से साहेबगंज, राजमहल, उधवा तथा बरहेट प्रखंड के 58 ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह योजना 2016 तक चालू होने की संभावना है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ अल्प सूचित 02/15 740 दिनांक 3/3/15

प्रतिलिपि: झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 294 दिनांक 28.02.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/15

(सुरेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव